GS WORLD IAS PCS Committed To Excellence

प्रोजेक्ट सशक्त

स्रोत– 'द हिन्दू' || '25 जुलाई, 2018'

IAS PCS

प्रोजेक्ट सशक्त

एक नजर में ...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकारी बैंकों के लिए गले की फांस बन चुके एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए देश के 85 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने सोमवार को इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया।
- एग्रीमेंट करने वालों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक समेत 22 सरकारी, 19 निजी और 32 विदेशी बैंक और एलआईसी जैसे 12 बड़े वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
- यह एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 'सशक्त' योजना का हिस्सा है।
- प्रोजेक्ट सशक्त को सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।
- इस योजना के तहत 5 सूत्री फॉर्मूला लागू होंगे।

क्या है?

- 50 करोड़ रुपये तक के फंसे कर्ज खातों के निपटारे के लिए हर बैंक में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
- इससे फायदा छोटी व मझोली कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा कि उन पर ही 50 करोड़ रुपये तक का एनपीए है।
- समिति 90 दिनों के भीतर इन सभी खातों के बारे में फैसला करेगी कि इन्हें और ज्यादा कर्ज देने की जरुरत है या इनके खाते को बंद करने की जरुरत है।
- 50 से 500 करोड़ रुपये तक के एनपीए खाता के लिए लीड बैंक की अगुवाई में फंसे कर्जे के निपटारे का फैसला किया जाएगा।
- इस श्रेणी के खाताधारकों को एक से अधिक बैंक कर्ज देते हैं इसलिए एक कर्ज देने वाले बैंकों के बीच एक समझौता किया जायेगा।
- 500 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के अन्य एनपीए खाते जिनका निपटारा AMC के जरिए भी नहीं हो सकेगा उन्हें दिवालिया कानून के तहत ही सुलझाया जाएगा।
- इसे लागू करने के लिए इन बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति भी गठित होगी जो यह देखेगी कि तय नियमों का पालन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है या नहीं।

सुनील मेहता समिति

- जून, 2018 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में समिति का गठन किया था।
- इसकी अध्यक्षता सुनील मेहता को सौंपी गई थी।
- इस समिति को 'बैड बैंक' जैसी संरचना की व्यावहारिकता परखने एवं दो सप्ताह में संपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के गठन के लिए सिफारिश देने के लिए कहा गया था।
- इस समिति में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.एस. जयकुमार तथा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सी.वेंकट नागेश्वर शामिल थे।

लाभ

- ग्राहकों से ऋण वसूलने का काम बैंकों पर नहीं रहेगा।
- एएमसी पूरी तरह से बाजार आधारित होंगे और देश में एक से ज्यादा एएमसी का गठन होगा।
- इसमें देशी-विदेशी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं।
- AMC द्वारा 60 दिनों के भीतर एनपीए का निपटारा किया जा सकेगा।

इसकी पांच -प्रवृत्त रणनीतियां

- एसएमई प्रस्ताव प्रवेश
- बैंक नेतृत्व वाले प्रस्ताव प्रवेश
- AMC/AIF नेतृत्व वाले प्रस्ताव प्रवेश
- NCLT/IBC प्रवेश
- एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

GS WORLD